भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1159

सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

पुरानी पेंशन योजना की बहाली

1159. श्री नव कुमार सरनीया:
श्री दीपक बैज:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पेंशनभोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओपीएस के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण है;

(ग) कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस पुनः आरम्भ कर दी है;

(घ) क्या कई राज्यों ने ओपीएस को पुनः आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशदान को वापस करने की मांग की है;

(ङ) छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(च) सरकार द्वारा ओपीएस को पुनः आरंभ करने वाले राज्यों को एनपीएस का धन वापिस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेल मंत्रालय, दूर संचार विभाग तथा डाक विभाग द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस के आधार पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संकलित और प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	विभाग	पेंशनभोगी तथा परिवार पेंशनभोगी की संख्या
1	सिविल पेंशनभोगी	11,41,985
2	रक्षा पेंशनभोगी	33,87,173 (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी)
3	दूर संचार पेंशनभोगी	4,38,758

4	रेलवे पेंशनभोगी	15,25,768
5	डाक पेंशनभोगी	3,01,765
	कुल	**67,95,449**

केंद्र सरकार राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में डेटाबेस का रखरखाव नहीं करती है।

(ख) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस की बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा रूपरेखा के आलोक में और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अवसंरचना जैसा कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन आवश्यक हो, की जांच के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ): राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) को उनके राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर वापस लौटने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी/निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि वह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी।

(ङ) और (च): दिनांक 02.06.2022 के पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एनपीएस के अंतर्गत अंशधारकों के संबंध में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 17,240 करोड़ रू. की प्रबंधन अंतर्गत परिसंपत्ति (एयूएम) के प्रोटीयन (पूर्ववर्ती एनएसडीएल) को 11,850 करोड़ रू. की राशि का अंतरण किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के साथ पठित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एग्जिट और विडरोल) विनियम, 2015 तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है जिसके अधीन अंशधारकों के संचित कोष अर्थात सरकारी अंशदान, उपार्जन के साथ-साथ एनपीएस में कर्मचारी का अंशदान, राज्य सरकारों को जमा और वापस किया जा सकता है।

*****